न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश बनाम हरफूल वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रार्थना पत्र 251 Act मु०नं० 28/2020

गये रास्ते के सम्बन्ध में बिन्दुवार रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई है। अतः प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम संख्या 68-70 के तहत प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट बिन्दुवार ली जावें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 08-12-2021 को पेश हो।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

08.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत–सिहोड़ी में पेश हुई। प्रार्थीगण में से प्रार्थी मानाराम, पूरणमल, हरफूल व जगदीश एंव अप्रार्थी मालीराम स्वंय उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान् की पहचान श्री सुन्दर भावरिया सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी के द्वारा की गई। प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पक्षकारान् के मध्य आज शिविर के दौरान राजीनामा हो जाने से आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर०टी० एक्ट को विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को ग्राम पंचायत–सिहोड़ी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 17:31:44 IST
Reason: SelfAttested

पूरणमल
मानाराम
हरफूल
जगदीश
पटवारी

सरपंच
ग्राम पंचायत सिहोडी
पं.स. अजीतगढ़ (सीकर)

08/12/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– सिहोड़ी